

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग


॥ शुद्धि-पत्र ॥

पटना-15, दिनांक- 8.6.18

संख्या-12/प0-(मू0को0)-407/2014-सा0प्र0- 7585/ विभागीय आदेश सं0-2360 दिनांक 16.2.2016 के द्वारा श्री मनोज कुमार रजक का नाम परिवर्तित कर श्री मनोज प्रियदर्शी किया गया है ।
इसलिए विभागीय अधिसूचना सं0-5604 दिनांक 27.04.2018 के क्रमांक 29 के कॉलम 2 में अंकित श्री मनोज कुमार रजक, 1429/11, प0 चंपारण के स्थान पर संशोधित रूप में श्री मनोज प्रियदर्शी, 1429/11, प0 चंपारण पढ़ा जाय ।

अधिसूचना सं0-5604 दिनांक 27.04.2018 की शेष बाते यथावत रहेगी ।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,



(विमलेश कुमार झा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-12/प0-(मू0को0)-407/2014-सा0प्र0- 7585 /पटना-15, दिनांक- 8.6.18

प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के माध्यम से)/महालेखकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/ उप मुख्यमंत्री, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी संबंधित विभाग,बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाइड पर अपलोड करने हेतु/संबंधित पदाधिकारी/प्रशाखा 2, 8 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


सरकार के संयुक्त सचिव